प्रेस नोट दिनांक 10.10.2025

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा/सशक्तिकरण की जागरूकता हेतु जनपद स्तर पर एक दौड/पैदल मार्च का आयोजन किया गया -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत आज दिनांक 10.10.2025 को प्रातः 7:30 बजे गाजीपुर तिराहे से पुलिस लाइन तक एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें महिला खिलाड़ी तथा अन्य महिलाओं व महिला पुलिसकर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण तथा उनके अधिकारों के प्रति जनमानस को जागरूक करना रहा। इस आयोजन के माध्यम से घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध, बाल विवाह आदि महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर प्रभावशाली संदेश दिया गया।

इसके अतिरिक्त जनपद में नियुक्त समस्त एंटीरोमियों, वीट आरक्षी, मिशन शक्ति केन्द्र व पुलिस कार्यालय की समस्त शाखा में कार्यरत महिला पुलिसकर्मी बावर्दी दुरुस्त और स्कूल की छात्राओं के साथ गाजीपुर तिराहे से पुलिस लाइन तक पैदल मार्च किया गया ।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि वे महिला सुरक्षा व सम्मान हेतु आगे आएं और किसी भी प्रकार की शंका या अपराध की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचित करें।

महिलाओं व बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर 112,181,102,108, 1090,1076, 1098 व साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारें में साथ ही सरकार द्वारा महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय, महिला थाना प्रभारी मन्जू सिंह व अधिकारी/कर्मचारीगण तथा भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी निर्देशन में मिशन शक्ति फेज-5.0 के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना मधुबन, मिशन शक्ति टीम द्वारा श्यामा तिवारी महिला पीजी कॉलेज की छात्रा, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा गोल्ड मेडल एवं कुलपति पदक से सम्मानित प्रतिभाशाली छात्रा को सम्मानित किया गया -

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 10.10.2025 को थाना मधुबन मिशन शक्ति टीम द्वारा प्रभारी निरीक्षक महोदय मधुबन एवं एंटी रोमियो स्क्वायड के द्वारा श्यामा तिवारी महिला पीजी कॉलेज की महाराजा सुखदेव देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा गोल्ड मेडल एवं कुलपति पदक से सम्मानित प्रतिभाशाली छात्रा गरिमा पाल को सम्मानित किया गया इसका मुख्य उद्देश्य नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों, साइबर अपराध से बचाव, और विभिन्न कानूनों के प्रति जागरूक करना है। साइकिल रैली का आयोजन द्वारा इस अभियान को जन-जन तक पहुँचाने और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए किया गया। यह रैली नारी सुरक्षा और सशक्तिकरण का संदेश देने के साथ-साथ समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई।

मिशन शक्ति टीम द्वारा महिला सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई-

रैली के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न सुरक्षा उपायों, हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 112, 181,1076,1098, 102, 108), और साइबर अपराध से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया। साथ ही, महिलाओं को आत्मरक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति प्रेरित किया गया।

बालिकाओं को दी गयी गुड टच-बैड टच का जानकारी- जनपद मऊ समस्त थानों की एंटी रोमियों टीम द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, शिक्षण संस्थानों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा संसाधनों के प्रति जागरूक किया। तथा छात्राओं/बालिकाओं को किसी भी व्यक्ति द्वारा चाहे वह कोई परिचित हो अथवा अपरिचित के द्वारा छूने पर बलिका असहज/अप्रिय स्थिति प्रतीत हो तो तत्काल उस स्थान से हटकर अपने अपने अभिभावक, अध्यापिका अथवा पुलिस को अवश्य जानकारी दे ताकि उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा सके। महिला पुलिस टीम द्वारा बालिकाओं को साइबर सुरक्षा (साइबर हेल्पलाइन – 1930) से जागरुक किया गया एवं सोशल मीडिया को सावधानी पूर्वक प्रयोग करने के लिये भी सुझाव दिया गया,

विदेश में अरेस्ट के नाम पर धोखे से किये गए फ्राड का 14961 (चौदह हजार नौ सौ इकसठ र) रुपये थाना दक्षिण टोला द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर/अपराध महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये विदेश में अरेस्ट के नाम पर किये गए फ्राड का कुल 14961 (चौदह हजार नौ सौ इकसठ) रुपये आनलाइन ठगी के शिकार आवेदक अजहर कमाल पुत्र

सुल्तान अहमद निवासी मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ का कुल 14961 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1-प्र0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

2-उ0नि0 बसन्त लाल थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

3-क0 आ0 नवनीत पाण्डेय थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

4-म0का0 प्रीति सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

गोली चलाने वाले 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.10.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बढ़ुआ गोदाम कटरा तिराहे के पास से मु0अ0स0 426/25 धारा 191(2), 191(3), 109(1), 351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त आदित्य उर्फ सूरज कुमार पुत्र मरछू , 2 अनिरुद्ध कुमार पुत्र स्व0 हरिहर निवासीगण ताजोपुर सरायलखन्सी जनपद मऊ,3 आकाश उर्फ बाबी देओल पुत्र स्व राशकल निवासी बीबीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्तगण का विवरण –

1. आदित्य उर्फ सूरज कुमार पुत्र मरछू निवासी ताजोपुर सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. अनिरुद्ध कुमार पुत्र स्व0 हरिहर निवासी ताजोपुर सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. आकाश उर्फ बाबी देओल पुत्र स्व राशकल निवासी बीबीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 426/25 धारा 191(2), 191(3), 109(1), 351(2) बीएनएस थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम –

1. उ0नि0 मनोज सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. उ0नि0 शिवपती थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. हे0का0 प्रदीप यादव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
4. का0 जग बहादुर बर्मा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
5. का0 जय प्रकाश द्विवेदी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

अबैध गाय का मांस बेचने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.10.2025 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भीरा से अभियुक्त नसीम अख्तर पुत्र स्व. इजहारुल हक निवासी भीरा नगर पंचायत वलीदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के कब्जे से अबैध गाय का मांस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 378/2025 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया। तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल यूपी54 ए क्यू 6761 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. नसीम अख्तर पुत्र स्व. इजहारुल हक निवासी भीरा नगर पंचायत वलीदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ

बरामदगी–

1. अबैध गो मांस 40 किलो।

2. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 सरफराज खान थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
2. हे0का0 जितेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
3. का0 सुमित राय थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।